मां की किडनी बेटी में ट्रांसप्लांट होते ही महज दो घंटे में करने लगी काम

84 वर्षीय बुजुर्ग मां ने दिया 50 वर्षीय अपनी बेटी को दिया जीवनदान

- एसएमएस अस्पताल में हुआ देश का सबसे उम्रदराज किडनी डोनर ट्रांसप्लांट
- डॉक्टरों का दावा देश में पहली बार इतनी उम्र में हुआ सफल प्रत्यारोपण

जयपुर। राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह (एसएमएस) अस्पताल में एक 84 वर्षीय मां ने अपनी 50 साल की बेटी को किडनी दान कर उसे मौत के मुंह से निकाल लिया। बेटी गुड्डी देवी कई महीनों से क्रॉनिक किडनी डिजीज से जूझ रही थी और उनकी जिंदगी डायलिसिस मशीन पर टिकी थी। परिवार में उपयुक्त डोनर न मिलने पर जब

पीड़ित गुड्डी देवी

उम्मीद की सारी राहें बंद होने लगीं, तब भरतपुर की रहने वाली बुजुर्ग मां बुधी देवी ने खुद आगे आकर बेटी को किडनी देने की इच्छा जताई। डॉक्टरों की टीम पहले तो चौंकी, मगर फिर काउंसलिंग और मेडिकल जांचों के बाद पाया गया कि 84 वर्षीय बुधी देवी की किडनी ट्रांसप्लांट के लिए पूरी तरह उपयुक्त है। मामला बीते रविवार को डॉ. नीरज अग्रवाल और उनकी टीम ने यह ऐतिहासिक ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा किया। डॉक्टरों के मुताबिक ट्रांसप्लांट के महज दो घंटे के भीतर ही मां की किडनी ने बेटी के शरीर में काम करना शुरू कर दिया। फिलहाल मां-बेटी दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं और अस्पताल से छुट्टी मिलने की ओर अग्रसर हैं।

मां बोलीं बेटी को तड़प़ता नहीं देख सकती थी

भावुक बुधी देवी ने कहा कि जब डॉक्टरों ने कहा कि कोई डोनर नहीं मिल रहा, तो मुझे लगा कि अगर मेरी किडनी से मेरी बेटी की जान बच सकती है। ऐसे में इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या हो सकता है कि उसकी किडनी डोनेट करने से बेटी की जान बच सकती है। उनके इस जज्बे ने पूरे मेडिकल स्टाफ को भी भावविभोर कर दिया।

देश का पहला मामला, जब 84 साल की महिला ने दिया किडनी दान

डॉ. अग्रवाल ने बताया कि यह भारत में अपनी तरह का पहला मामला है, जब इतनी उम्रदराज महिला ने सफलतापूर्वक किडनी डोनेट की है।

जयपुर के सवाई मानसिंह (एसएमएस) अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टरों ने एक 84 वर्षीय मां की किडनी को उसकी 50 साल की बेटी को ट्रांसप्लांट किया।

इससे पहले 79 वर्षीय दादी ने अपने पोते को किडनी दान की थी, लेकिन 84 साल की उम्र में ऐसा उदाहरण पहली बार सामने आया है।

अब तक 793 सफल किडनी ट्रांसप्लांट कर चुका है एसएमएस हॉस्पिटल

एसएमएस अस्पताल का नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी विभाग अब तक 793 किडनी ट्रांसप्लांट कर चुका है, जिनमें 702 लाइव डोनर और 91 ब्रेन-डेड डोनर के मामले शामिल हैं।

विभाग के एचओडी डॉ. धनंजय अग्रवाल के अनुसार यह ट्रांसप्लांट मेडिकल इतिहास में मील का पत्थर साबित हो सकता है।

औद्योगिक शिविर का आयोजन आज

जयपुर। राजस्थान वित्त निगम द्वारा शुक्रवार को प्रातः शाखा कार्यालय जयपुर (सेन्ट्रल) सी-96. जगन पथ, चौमू हाउस, सी स्कीम में एक औद्योगिक शिविर आयोजित किया जाएगा।

निगम के उप प्रबंधक सत्यवान सिंघल ने बताया कि शिविर में निगम द्वारा 45 वर्ष से कम आयु के सीनियर सैकेण्डरी स्नातक, डिप्लोमाधारी, तकनीकी स्नातक युवाओं को उद्योग लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा 6 प्रतिशत की ब्याज में छूट की योजनाओं के बारे में जानकारी दी जायेगी तथा युवा उद्यिमता प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत युवा उद्यमी से आवेदन शुल्क व प्रोसेसिंग शुल्क भी नहीं लिया जायेगा। इस कैम्प में ऋण आवेदन पत्रावलियां तैयार करवाकर मौके पर ही स्वीकार की जायेंगी।

उन्होंने बताया कि युवा उद्यिमता प्रोत्याहन योजना के अन्तर्गत 45 वर्ष से कम आयु के सीनियर सैकेण्डरी, स्नातक, डिप्लोमाधारी, तकनीकी स्नातक युवाओं को ब्याज सवर्मेशन की लिमिट को ऋण राशि 150 लाख से बढ़ाकर 200 लाख की गई है। गुड बारोबर स्कीम में पुर्नभुगतान समय को 5 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष किया गया है। दस करोड से अधिक के ऋण के लिए एप्लीकेशन फीस अधिकतम एक लाख रूपये की गई है।

प्रोसेसिंग चार्जेज 0.50 प्रतिशत से घटाकर 0:25 प्रतिशत किया गया है। फ्लैक्सी योजना के अन्तर्गतत पात्रता ऑपरेटिव डीलिंग 4 वर्ष घटाकर 3 वर्ष एवं पलैक्सी योजना में ब्याज दर को 10.75 प्रतिशत से घटाकर 10.25 प्रतिशत किया गया है। सरल स्कीम के अन्तर्गत पूर्व में भूमि व भवन की ऋण की पात्रता 60 प्रतिशत थी जिसे बढाकर 70 प्रतिशत किया गया है।

सार-समाचार

अवैध एमडी (मेफेड्रोन) सहित एक व्यक्ति गिरफ्तार

जयपुर। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) राजस्थान के जयपुर सेल के अधिकारियों ने बुधवार को कार्रवाई करते हुए स्टेशन रोड जयपुर रेलवे स्टेशन के पास एक संदिग्ध व्यक्ति को रोककर उसकी तलाशी के दौरान 150 ग्राम अवैध एमडी (मेफेड्रोन) बरामदकर उसे गिरफ्तार कर किया गया है। उप नारकोटिक्स आयुक्त नरेश बुन्देल ने बताया कि सीबीएन को एक विशेष सूचना मिली की एक व्यक्ति जयपुर रेलवे स्टेशन के निकट स्टेशन रोड पर आपूर्ति के लिए अवैध एमडी (मेफेड्रोन) ले जा रहा है। उन्होंने इस कार्यवाही के लिए (सीबीएन) जयपुर के अधिकारियों की एक टीम गठित की गई और उस संदिग्ध व्यक्ति को जयपुर रेलवे स्टेशन के निकट स्टेशन रोड पर रोक कर सामान की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उसके स्पोर्ट्स शूज के सोल के नीचे दो पॉलीथिन बैग में छिपाकर रखा हुआ 150 ग्राम वजन का अवैध एमडी (मेफेड्रोन) बरामद किया गया। टीम ने अवैध एमडी (मेफेड्रोन) को एनडीपीएस अधिनियम 1985 के प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत जब्त कर आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार किया।

मादक पदार्थ स्मैक की तस्करी करने वाली महिला तस्कर गिरफ्तार

जयपुर। अशोकनगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ स्मैक की तस्करी करने वाली एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है और उसके पास से 9.13 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक भी जब्त की है। फिलहाल आरोपी तस्कर महिला से पूछताछ की जा रही है। थानाधिकारी कृष्ण कुमार ने बताया कि पुलिस कमिश्नरेट की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ स्मैक की तस्करी करने वाली महिला तस्कर रजनी निवासी भोजपुरा कच्ची बस्ती सहकार मार्ग जयपुर को गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से 9.13 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक बरामद की है। पुलिस आरोपित महिला से मादक पदार्थ की खरीद-फरोख्त के बारे में पूछताछ करने में जुटी है।

गबन करने वाला कंपनी अकाउंट मैनेजर गिरफ्तार

जयपुर। सेज थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक कंपनी के अकाउंट मैनेजर को 2 करोड़ 37 लाख रुपये के गबन मामले में गिरफ्तार किया है।

पुलिस जानकारी में सामने आया कि आरोपी अकाउंट मैनेजर ने कंपनी का पैसा अपने रिश्तेदारों के खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर कर लिया था। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है।

पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम अमित कुमार ने बताया कि सेज थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक कंपनी में 2 करोड़ 37 लाख रुपये के गबन मामले कंपनी अकाउंट मैनेजर अजय कुमार शर्मा उर्फ हेमराज शर्मा (34) निवासी बगरू को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि आरोपित अजय कुमार लंबे समय से सत्यम पॉलीप्लास्ट में अकाउंट्स मैनेजर के पद पर कार्यरत था। उसने कंपनी के खाते में आए पैसों को अपने रिश्तेदारों के खातों में ट्रांसफर कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

थानाधिकारी उदयसिंह ने बताया कि 26 मई को सत्यम पॉलीप्लास्ट फर्म के पार्टनर आशीष अग्रवाल ने थाने में मामला दर्ज करवाया था कि फर्म के अकाउंट्स मैनेजर अजय कुमार शर्मा ने विश्वासघात करते हुए करीब 2.37 करोड़ रुपए का गबन कर लिया। पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए आरोपी को पकडा है।

सेज थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक कंपनी के अकाउंट मैनेजर को 2 करोड़ 37 लाख रुपये के गबन मामले में गिरफ्तार किया है।

विधायक सराफ ने सपत्नी किए परिंडे भेंट

जयपुर। मालवीय नगर विधायक एवं यस सोसाइटी के संरक्षक कालीचरण सराफ ने सपत्नीक अलका सराफ के साथ वर्ल्ड ट्रेड पार्क के सामने लैंडस्केप गार्डन में आमजन को परिंडे वितरित किये। यस सोसाइटी के अध्यक्ष आशीष सराफ ने बताया कि इस बार भी हमारी सोसाइटी द्वारा पक्षियों के पानी पीने के लिए 1000 परिंडा वितरित किए जाएंगे जिसकी शुरुआत जवाहर सर्किल से की थी, इसी क्रम में सेंट्रल पार्क, नेहरू गार्डन में आमजन को परिंडे वितरित किए गए। सराफ ने बताया की गर्मी में बेजुबान पक्षी पानी के लिए तरसते हैं हर व्यक्ति अपने घर में एक परिंडा जरूर लगाये, एस सोसाइटी के द्वारा परिंडे वितरित किए जा रहे हैं एवं आमजन के द्वारा इनमें पानी एवं पक्षियों के लिए दाने की व्यवस्था की जायेगी। कार्यक्रम में यस सोसाइटी की टीम हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सक्रिय दिखी। परिंडा वितरण के दौरान यस सोसाइटी के कोषाध्यक्ष तपन गुप्ता ,जगन्निधी जत्ती , रोहित अजमेरा, ललित हरीश खड़िया, मोहित मूलचंदानी, उमा शर्मा, दीनदयाल सैनी, प्रेम बड़ेतीया, राजेश कुमावत, मनीष जैन,फतेहसिंह ,जेनु सैनी, दिवांशु मौजूद थे।

जेल से बंदियों को फरार कराने की योजना बनाने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

जयपुर। लाल कोठी थाना पुलिस ने जेल से बंदियों को फरार कराने की योजना बनाने वाले सहित पैसा देने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया हैं। पुलिस ने दोनों बदमाशों को कोर्ट में पेश कर रिमांड प्राप्त कर पूछताछ करने में जुटी है। अब तक पुलिस ने इस मामले में पन्द्रह आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है।

पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व तेजस्वनी गौतम ने बताया कि जयपुर जेल में बंद चार बंदियों को एसएमएस अस्पताल जयपुर में रेफर करने में मदद करने वाले जेल में बंद कैदी आनन्दीलाल उर्फ नंदलाल निवासी जमवारामगढ जयपुर को जेल से गिरफ्तार किया हैं।

साथ ही जयपुर जेल में बंद रफीक व भंवरलाल को एसएमएस में रेफर के बदले बीस हजार रुपए ऑन लाइन लिया गया। यह पैसा रफीक और भंवरलाल के परिवार से लेकर आलिम खान निवासी भट्टा बस्ती ने आनंदीलाल तक पहुंचाया,जिसे भी पकड़ कर लिया गया है।

पुलिस ने दोनों बदमाशों को रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी हैं। रिमांड पर लिए गए आनंदीलाल और आलिम खान दोनों जेल के अंदर और बाहर व्यवस्था कराने का काम किया करते थे।

पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व ने बताया कि 24 मई को मुखबिर से सूचना मिली की केन्द्रीय कारागार से जो बदमाश उपचार के लिए एसएमएस अस्पताल जयपुर में आ रहे है उनके फरार होने की योजना है। जिस पर सीआई एसएमएस अपनी टीम के साथ अस्पताल पहुंचे। जहां जेल से उपचार के लिए आये रोगियों के बारे में जांच की गई तो पता चला कि पांच रोगी एसएमएस में उपचार के लिए आए थे। लेकिन वहीं गायब हैं मिल नहीं रहे। जानकारी जुटाई गई तो रोगियों के नाम सामने आये जिस में रफीक उर्फ बकरी निवासी न्यु संजय नगर कच्ची बस्ती थाना भट्टा बस्ती जयपुर, भंवर लाल निवासी जोबनेर जिला जयपुर, अंकित बंसल निवासी सीटी सोनी पंथ जिला हरियाणा और करण गुप्ता निवासी महेश नगर है।

साथ की जानकारी मिली की जयपुर पुलिस गार्ड जो रोगियों को जेल से लेकर आई वह भी गायब हो गई हैं। जिस पर टीम एक्टिव की गई तो पता चला कि रफीक उर्फ बकरी और भंवरलाल जालूपुरा में एक होटल में गार्ड के साथ मिले और अंकित बंसल व करण गुप्ता एयरपोर्ट थाना इलाके में एक होटल से मिले। जिस के बाद लालकोठी थाने में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई। जिस पर जांच अधिकारी ने कुल तेरह लोगों को गिरफ्तार किया। जिस में चार कैदी, पांच पुलिसकर्मी, चार प्राइवेट महिला और पुरुष शामिल थे।

लाल कोठी थाना पुलिस ने जेल से बंदियों को फरार कराने की योजना बनाने वाले सहित पैसा देने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया हैं।

बैंक लोन खाते के फोरक्लोजर में ग्राहक से अवैध राशि वसूली

आयोग ने लगाया 6.31 लाख रुपए का हर्जाना

जयपुर। जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-द्वितीय ने ग्राहक के लोन खाते के फोरक्लोजर में उससे अवैध राशि वसूलने को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मानते हुए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर 6.31 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है।

इसके साथ ही ग्राहक से वसूल की गई 33,160 रुपए की राशि 9 फीसदी ब्याज सहित लौटाने को कहा है। आयोग के अध्यक्ष ग्यारसी लाल मीना व सदस्य सुप्रिया अग्रवाल ने यह आदेश राजेन्द्र कुमार गोयल के परिवाद पर दिया।

परिवाद में आयोग को बताया कि परिवादी ने अपनी प्रॉपर्टी पर विपक्षी बैंक से आठ लाख रुपए का लोन मांगा था।

जिसमें से बैंक ने उसे 7,40,915 रुपए दिए। लोन देते समय विपक्षी बैंक ने यह नहीं बताया कि समय पूर्व लोन पूरा करने पर 3 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क या अन्य कोई चार्ज लगेगा। जब परिवादी ने समय पूर्व लोन राशि अदा कर दी तो बैंक ने उससे फोरक्लोजर लेटर के लिए 590 रुपए चार्ज किए। वहीं फोरक्लोजर चार्ज के नाम पर लोन राशि का तीन फीसदी रकम अलग से वसूल ली और 15 जनवरी 2019 तब उससे 33,160 रुपए अवैध तरीके से वसूले गए।

परिवादी की ओर से इसे उपभोक्ता आयोग में चुनौती देते हुए विपक्षी बैंक से लोन फोरक्लोजर के लिए वसूली गई राशि ब्याज दिलाने की गुहार की। इसके जवाब में बैंक ने कहा कि परिवादी से लोग एग्रीमेंट की शर्तों के अनुसार ही शुल्क वसूली गया है।

परिवादी ने लोन की एनओसी लेने के करीब डेढ़ साल बाद परिवाद पेश किया हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग ने परिवादी के पक्ष में फैसला देते हुए माना कि विपक्षी बैंक ने नियमों के विपरीत जाकर लोन फोरक्लोजर के लिए उससे अवैध राशि वसूली है।

इसके साथ ही आयोग ने विपक्षी बैंक को हर्जाना राशि सहित ज्यादा ली गई राशि भी परिवादी को ब्याज सहित लौटाने को कहा है।

एक ही क्लास के सहपाठियों की 95 प्रतिसत से ऊपर

जयपुर। आजकल हर क्षेत्र में एक दूसरे से आगे निकलने के लिए हर तरह के प्रयास देखने को मिलते हैं।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जारी हुए 10 क्लास के परिणाम में सनराइज स्कूल के बच्चों के बीच अत्यधिक अंक लाने का छात्र-छात्राओं का कंपटीशन नजर आया जिसमें स्कूल के 6 बच्चे 95 से 96 के बीच अंक प्राप्त किये।

तेजस 95.33, अर्चना 95.83, जयवर्धन 95.17, जतिन 95.50, रोशनी 95.17, सोनम 95.67 प्रतिशत अंक प्राप्त कर यह संदेश दिया की अगर कंपटीशन करना हो तो पढ़ाई के क्षेत्र में करना चाहिए जिससे श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होता है इन सभी छात्र-छात्राओं ने स्कूल स्टाफ व परिजनों के साथ स्कूल के डायरेक्टर गोपाल यादव व संचालक सतीश यादव को बेहतर परिणाम प्राप्त करने का श्रेय दिया।

''एक युद्ध-नशे के विरुद्ध'' जागरूकता अभियान का शुभारंभ

मानव सेवा ट्रस्ट राजस्थान द्वारा ''एक युद्ध-नशे के विरुद्ध'' जागरूकता कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन किया गया।

जयपुर। नशामुक्ति की दिशा में एक सशक्त पहल करते हुए मानव सेवा ट्रस्ट राजस्थान द्वारा ''एक युद्ध-नशे के विरुद्ध'' जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जिसके पोस्टर का विमोचन जयपुर लोकसभा सांसद मंजू शर्मा एवं डॉ. निर्मल जैन, सदस्य राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद् ने किया। स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर के वरिष्ट आचार्य, चिकित्सक एवं ट्रस्ट सदस्य तथा मीडिया प्रभारी प्रो.डॉ.राजीव सक्सेना ने बताया कि ट्रस्ट द्वारा अभियान विभिन्न इलाकों में चलाया जाएगा, जिसमें स्कूल, कॉलेज, युवा समूह और समुदायिक केंद्रों को शामिल किया गया है। कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक, चित्र प्रदर्शनी, हस्ताक्षर अभियान, तथा व्याख्यान जैसी गतिविधियों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित की जाएँगी जिनमें नशे के दुष्प्रभाव, बचाव के उपाय, पुनर्वास की जानकारी, ई-शपथ आदि किया जायेगा

जेडीसी, सचिव और उपायुक्त के जमानती वारंट पर रोक

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जिला उपभोक्ता आयोग, द्वितीय के आदेश की पालना नहीं करने के जुडे मामले में जेडीसी आनंदी, जेडीए सचिव निशांत जैन और जोन उपायुक्त राकेश मीना को राहत दी है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में आयोग की ओर से तीनों अधिकारियों के जारी जमानती वारंट पर रोक लगा दी है। वहीं अदालत ने मामले में आयोग में पक्षकार नकुलेश्वर दत्त को नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा है। जस्टिस अनिल कुमार उपमन ने यह आदेश आनंदी व अन्य की याचिका पर दिए।

याचिका में अधिवक्ता अमित कुडी ने बताया कि जिला उपभोक्ता आयोग ने याचिकाकर्ता के वकील के पेश होने के बावजूद भी याचिकाकर्ता के जमानती वारंट जारी कर दिए और उन्हें आयोग के समक्ष पेश होने के लिए कहा। जबकि जेडीए जिला उपभोक्ता आयोग के 29 अक्टूबर 2024 के आदेश की पालना की कार्रवाई शुरू कर चुका था। ऐसे में उनकी ओर से आयोग के आदेश की पालना करने में कोई अवमानना नहीं की है। इसलिए जिला उपभोक्ता आयोग के जमानती वारंट आदेश को रद्द किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने जमानती वारंट पर रोक लगाते हुए संबंधित पक्षकार से जवाब मांगा है।

गौरतलब है कि जिला उपभोक्ता आयोग ने 29 अक्टूबर, 2024 को जेडीए को निर्देश दिए थे कि वह एक माह में परिवादी को भूखंड का कब्जा सौंपे और यदि ऐसा ना हो तो उसकी ओर से जमा कराई गई 6.88 लाख रुपए की राशि 18 फीसदी ब्याज सहित लौटाए। वहीं पालना नहीं होने पर आयोग ने तीनों अधिकारियों को जमानती वारंट से तलब किया था।

संगीत आश्रम संस्थान का संगीत समारोह आज से

जयपुर। संगीत आश्रम संस्थान का दो दिवसीय संगीत समारोह 29 मई को शास्त्रीनगर स्थित संस्थान परिसर में होगा।

संस्थान सचिव अमित अनुपम ने बताया कि समारोह के पहले दिन गुरुवार शाम 4:30 बजे क्लासिकल म्यूजिक कॉन्सर्ट होगा, जिसमें कलाकार विभिन्न राग-रागनियों की सुरीले सुरों की माला पिरोएंगे।

समरोह के आखिरी दिन 30 मई को शाम 4:30 बजे शास्त्रीय नृत्य संध्या संजोई जाएगी। इसमें नृत्यांगनाएं जयपुर घराने के शुद्ध कथक की प्रस्तुति देंगे।

डीपीसी में अनियमितता को लेकर मांगा जवाब

प्रमुख कार्मिक सचिव, प्रमुख ऊर्जा सचिव, आरआरवीपीएनएल चेयरमैन और एमडी सहित डीपीसी कमेटी को नोटिस जारी

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नित को लेकर साल 2022-23 और बाद के सालों में हुई अनियमिता को लेकर प्रमुख कार्मिक सचिव, प्रमुख ऊर्जा सचिव, आरआरवीपीएनएल चेयरमैन और एमडी सहित डीपीसी कमेटी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस महेन्द्र गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश अधिशासी अभियंता के पद से रिटायर हुए राजेन्द्र प्रसाद तिवारी की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता स्वप्निल सिंह पटेल ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में अधिशासी अभियंता के तौर पर कार्यरत था। नियमानुसार साल 2024-25 की डीपीसी में उसका अधीक्षण अभियंता के तौर पर प्रमोशन होना था। वहीं साल 2022-23 से लेकर बाद में समय-समय पर आयोजित डीपीसी में आरक्षण वर्ग के पदों को लेकर अनियमिता बरती गई। जिसके चलते याचिकाकर्ता का प्रमोशन नहीं हो सका और उसे रिटायर होना पडा। याचिका में कहा गया कि नियमानुसार आरक्षित वर्ग का उपयुक्त कर्मचारी नहीं मिलने पर उस पद को अगले साल की डीपीसी के लिए फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता और ऐसे पद को सामान्य वर्ग के कर्मचारी से भरा जा सकता है। कार्मिक विभाग ने भी साल 2008 को परिपत्र जारी कर इस संबंध में प्रावधान कर रखा है। इसके बावजूद बिजली कंपनी में साल 2022-23 और उसके बाद आयोजित डीपीसी में एससी वर्ग की सीट को अगली डीपीसी के लिए फॉरवर्ड कर दिया।